पत्रांक–2ब० / विविध–24–01 / 2012 219 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 8/2/17

विषयः– **विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित, नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न कमरों के आंतरिक साज–सज्जा एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹247.78700 लाख (दो करोड़ सैंतालिस लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 1880, दिनांक– 01.12.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक– 536, दिनांक– 18.01.2017 द्वारा विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न कमरों के आंतरिक साज–सज्जा एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹247.78700 लाख (दो करोड़ सैंतालिस लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि उपलब्धता हेतु विभाग को भेजा गया है।

2. विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न कमरों के आंतरिक साज–सज्जा एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹247.78700 लाख (दो करोड़ सैंतालिस लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वर्णित योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। कुल स्वीकृत राशि ₹247.78700 लाख (दो करोड़ सैंतालिस लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) में से प्राक्कलन के अनुसार ₹187.39918 लाख (एक करोड़ सतासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ अठारह रु०) मात्र विभिन्न सामग्रियों के क्रय एवं Consultancy मद के लिए है तथा शेष राशि Civil Work के लिए है।

4. कुल स्वीकृत राशि ₹247.78700 लाख (दो करोड़ सैंतालिस लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) में से ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रु०) DFID–SPUR के स्तर से भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। इस राशि से आवश्यकतानुसार प्रावधानित सामग्रियों का क्रय करते हुए दिनांक– 28.02.2017 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र भवन निर्माण विभाग द्वारा DFID–SPUR को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. प्रशासनिक स्वीकृति की अवशेष राशि ₹97.78700 लाख (संतानवे लाख अठहत्तर हजार सात सौ रु०) मात्र का व्यय राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0104– निदेशालयों एवं इनके समतुल्य संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु विपत्र कोड– P2217050010104, विषय शीर्ष– 31 05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण से विकलनीय होगा। राशि की निकासी विभागीय स्तर से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

7. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि (2) दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/विविध–24–01/2012 के पृष्ठ सं०– ...53.../टि० पर दिनांक–...8.2.17... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं० ...54.../टि० पर दिनांक–...8.2.17... को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8-2-17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/विविध–24–01/2012 219 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 8/2/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-2-17

सरकार के विशेष सचिव।